सं0. 38/37/08-पी.एंड पी.डब्ल्यू (ए)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

लोक नायक भवन, नई दिल्ली -110003

दिनांक 2 सितंबर, 2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय : **छठें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय का कार्यान्वयन- पेंशन /ग्रेच्युटी/पेंशन का सांराशीकरण/कुटुम्ब पेंशन/विकलांगता पेंशन/एकमुश्त क्षतिपूर्ति अनुग्रह को विनियमित करने वाले प्रावधानों में संशोधन ।**

1. अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि छठें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार के निर्णय के अनुसरण में राष्ट्रपति, सी.सी.एस.(पेंशन) नियमावली, 1972 (इसके बाद जिसे पेंशन नियमावली के रूप संदर्भित किया गया है) के अन्तर्गत पेंशन, सेवानिवृत्ति/मृत्यु/सेवा ग्रेच्युटी/कुटुम्ब पेंशन/विकलांगता पेंशन तथा एकमुश्त क्षतिपूर्ति अनुग्रह एवं सी.सी.एस.(पेंशन का कम्यूटेशन) नियमावली, 1981, सी.सी.एस. (असाधारण पेंशन) नियमावली, 1939 आदि के अन्तर्गत पेंशन का सारांशीकरण (कम्यूशन) के प्रावधानों को विनियमित करने वाली नियमावली में निम्नलिखित संशोधन लागू करती है :

2. ये आदेश सी.सी.एस.(पेंशन) नियमावली, 1972 द्वारा नियंत्रित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू होंगे । रक्षा मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के ए.आई.एस. प्रभाग द्वारा क्रमशः रक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय तथा अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए इन आदेशों के आधार पर अलग से आदेश जारी किए जाएंगे ।

लागू होने की तिथि

3.1 उपर्युक्त इन आदेशों में अन्यथा उल्लिखित की गई बातों के अलावा इन आदेशों के अनुसार संशोधन प्रावधान उन सरकारी सेवकों पर लागू होंगे जो दिनांक 1.1.2006 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या दिवंगत होंगे । उन कर्मचारियों के बारे में अलग से आदेश जारी किए गए हैं जो 1.1.2006 के पहले सेवानिवृत्त/दिवंगत हुए हैं ।

3.2 जहां पेंशन/कुटुम्ब पेंशन/ग्रेच्युटी/पेंशन का सारांशीकरण आदि दिनांक 1.1.2006 को या इसके बाद के मामलों में पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, उन्हें इन आदेशों के सन्दर्भ में संशोधित किया जाएगा । ऐसे मामलों में जहां पेंशन संशोधन पूर्व आदेशों पर स्वीकृत की जा चुकी है तथा यह इन आदेशों के अन्तर्गत बनने वाली पेशन की अपेक्षा अधिक लाभकारी है तो सी.सी.एस. (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 70 की दृष्टि से पेंशनभोगी को नुकसान होने की स्थिति में पहले से स्वीकृत पेंशन में संशोधन नहीं किया जाएगा ।

परिलब्धियां

4.1 विभिन्न प्रकार की ग्रेच्युटी के अलावा पेंशन संबंधी विभिन्न लाभों की गणना करने के प्रयोजन के लिए 'परिलब्धियां' शब्द का वही अर्थ होगा जैसा केन्द्रीय सिविलि सेवाएं (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 33 में है ।

4.2 संशोधित वेतन ढांचे में मूल वेतन का आशय निधारित पे-बैंड में आहरित किया जा रहा वेतन तथा लागू ग्रेड-पे है न कि इसमें विशेष वेतन आदि जैसा अन्य प्रकार का वेतन शामिल है ।

4.3 सभी प्रकार की ग्रेच्युटी के मामले में सेवानिवृत्ति/मृत्यु तिथि को देय मंहगाई भत्ते को उपर्युक्त पैरा 4.1 में दी गई परिभाषा के अनुसार परिलब्धियों के साथ ही परिलब्धि के रूप में माना जाता रहेगा ।

पेंशन

5.1 10 वर्षों की सेवा पूरी करने के पहले सी.सी.एस.(पेंशन) नियमावली, 1972 के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्त होने वाला सरकारी सेवक पेंशन का हकदार नहीं होगा लेकिन वह सी.सी.एस.(पेंशल) नियिमावली, 1972 के नियम 49(1) की शर्तों के अनुसार सर्विस ग्रेच्युटी का हकदार होगा ।

5.2 पूरी पेंशन के लिए 33 वर्षों की पात्र सेवा के संबंध को समाप्त कर दिया जाएगा । एक बार सरकारी सेवक द्वारा 20 वर्षों की निर्धारित सेवा पूरी कर लेने के बाद पेशन परिलब्धियों या पिछले 10 महीने के दौरान प्राप्त परिलब्धियों के औसत, जो भी अधिक हो की 50% पेंशन दी जाएगी ।

5.3 ऐसे मामलों में जहां कोई सरकारी सेवक सी.सी.एस.(पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 49(2) के अन्तर्गत 10 वर्षों की सेवा पूरी कर लेने पर पेंशन लेने का हकदार होता है तो ऐसे मामलों में भी पेंशन परिलब्धियों या परिलब्धियों के औसत, जो सरकारी सेवक के लिए अधिक लाभकारी हो, की 50% पेंशन दी जाएगी ।

5.4 उपर्युक्त पैरा 5.2 तथा 5.3 में पेशन की गणना के संशोधित प्रावधान इस कार्यालय ज्ञापन के लागू होने की तिथि से लागू होगा तथा ये उन सरकारी सेवकों पर लागू होंगे जो उस तिथि या उसके बाद सेवानिवृत्त होंगे । तब सरकारी सेवक जो दिनांक 1.1.2006 या इसके बाद परन्तु इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, वे उन नियमों/आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे जो इन आदेशों के आने के तत्काल पहले प्रभावी थे ।

5.5 पेंशन की धनराशि न्यूनतम 3500/-रूपए तथा अधिकतम सरकारी सेवा में अधिकतम वेतन (दिनांक 1.1.2006 से सरकारी सेवा में अधिकतम वेतन 90,000/-रूपए है) का 50% तक होगी ।

5.6 पेंशन नियमावली के नियम 49 के उप-नियम (2) के (क) से(ग) के खण्ड के प्रावधानों में उपर्युक्त पैरा 5.1 से 5.5 में उल्लिखित सीमा तक संशोधन किए जाएंगे । नियम 49 में निहित अन्य प्रावधान लागू होते रहेंगे ।

5.7 पुराने पेंशनभोगियों को उपलब्ध पेंशन की मात्रा निम्नलिखित रूप में बढ़ जाएगी ।

पेंशनभोगी की आयु	पेंशन की अधिकतम मात्रा
80 वर्ष से लेकर 85 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन का 20%
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन का 30%
90 वर्ष से अधिक परन्तु 95 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन का 40%
95 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन का 50%
100 वर्ष या इससे अधिक	मूल पेंशन का 100%

पेंशन स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पेंशनभोगी की जन्म तिथि तथा आयु का पेंशन भुगतान आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए ताकि पेंशन सवितरण अधिकारी द्वारा पेंशन देय होते ही अतिरिक्त पेंशन देने में सुविधा हो । अतिरिक्त पेंशन की धनराशि को पेंशन भुगतान आदेश में विशेषरूप से दिखाया जाएगा । उदाहरण के लिए जिस मामले में पेंशनभोगी की आयु 80 वर्ष से अधिक है तथा उसकी पेंशन 10,000/- रूपए है- पेंशन को इस प्रकार दिखाया जाएगा – मूल पेंशन 10,000/-रूपए तथा II अतिरिक्त पेंशन 2000/-रूपए प्रतिमाह / उसकी आयु 85 वर्ष होने पर पेंशन इस प्रकार दिखाई जाएगी (1) मूल पेंशन 10,000/-रूपए तथा अतिरिक्त पेंशन 3000/-रूपए प्रतिमाह ।

6.1 सभी प्रकार की ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 10 लाख रूपए, तदनुसार, पेंशन नियमावली के नियम 50(1) (ख) के अन्तर्गत प्रथम परन्तुक इस प्रकार संशोधित किया जाएगा कि इस नियम के अन्तर्गत दिये सेवानिवृत्त ग्रेच्युटी या मृत्यु ग्रेच्युटी किसी भी मामले में 10 लाख रूपए से अधिक नहीं होगी ।

अर्हक सेवा में परिवर्धन

7.1 उपर्युक्त पैरा 5 में पेशन की गणना के लिए संशोधित प्रावधानों को ध्यान में रखकर, पेंशन की गणना के उद्देश्य के लिए अर्हक सेवा के जोड़े गए वर्षों का वर्तमान लाभ इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख से हटा दिया जाएगा । केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 29, 29-ए, 30, 48-बी और 48-सी इस सीमा तक आशोधित किए जाएंगे ।

कुटुम्ब पेंशन 1964

8.1 सभी मामलों में, कुटुम्ब पेंशन की गणना मूल वेतन के 30% की एक समान दर से की जाएगी तथा यह 3500/-रूपए प्रतिमाह की न्यूनतम तथा सरकार में उच्चतम वेतन की अधिकतम 30% की सीमा के अध्यधीन होगी । (01.01.2006 से सरकार

में अधिकतम वेतन 90,000/-रूपए है) पेंशन नियमावली के अन्तर्गत कुटुम्ब पेंशन, 1964 से संबंधित नियम 52(2) को इस सीमा तक आशोधित किया जाएगा ।

8.2 नियम 54(3)(क)(i) के अन्तर्गत बढ़ी हुई कुटुम्ब पेंशन सरकारी कर्मचारी जिसकी मृत्यु सेवा के दौरान होती है, के परिवार को सरकारी कर्मचारी की मृत्यु की तारीख से 10 वर्ष की अवधि के लिए बिना किसी उच्च आयुसीमा के देय होगी । नियम 54(3)(क) (i) इस सीमा हेतु आशोधित किए जाएंगे । पेंशनभोगी की मृत्यु के मामले में परिवार की बढ़ी हुई कुटुम्ब पेंशन को भुगतान की अवधि में कोई बदलाव नहीं होगा ।

8.3 पुराने कुटुम्ब पेंशनभोगी की उपलब्ध कुटुम्ब पेंशन की मात्रा निम्नानुसार बढ़ा दी जाएगी :-

कुटुम्ब पेंशनभोगी की आयु	कुटम्ब पेंशन की अधिकतम मात्रा
80 वर्ष से लेकर 85 वर्ष से कम तक	मूल कुटुम्ब पेंशन का 20%
85 वर्ष से अधिक परन्तु 90 वर्ष से कम तक	मूल कुटुम्ब पेंशन का 30%
90 वर्ष से अधिक परन्तु 95 वर्ष से कम तक	मूल कुटुम्ब पेंशन का 40%
95 वर्ष से अधिक परन्तु 100 वर्ष से कम तक	मूल कुटुम्ब पेंशन का 50%
100 वर्ष या इससे अधिक	मूल कुटुम्ब पेंशन का 100%

पेंशन संस्तुत कर्ता अधिकरी सुनिश्चित करें कि कुटुम्ब पेंशनभोगी की जन्म तिथि तथा आयु, स्थिर रूप से, फार्म 3 (परिवार के ब्यौरे के बारे में) में, तथा जैसे ही पेंशन बकाया होती है पेंशन वितरण अधिकारी द्वारा अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन के भुगतान को सुविधा सम्पन्न बनाने हेतु पेंशन भुगतान आदेश में दर्शाई गई है । उदाहरणार्थ, यदि जहां किसी पेंशनभोगी की आयु 80 वर्ष से अधिक हो जाती है तथा उसका /उसकी कुटुम्ब पेंशन 10,000/-रूपए तथा (ii) अतिरिक्त कुटुम्ब पेंशन 2,000/-रूपए प्रतिमाह । 85 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उसका/उसकी कुटुम्ब पेंशन इस प्रकार दर्शाई जाएगी (i) मूल कुटुम्ब पेंशन = 10,000/-रूपए प्रतिमाह तथा (ii) अतिरिक्त पेंशन 3000/-रूपए प्रतिमाह ।

8.4 कुटुम्ब पेंशन की स्वीकृति के लिए, 'कुटुम्ब' को निम्नलिखित के अनुसार श्रेणीबद्ध किया जाएगा :-

श्रेणी-।

(क) विधवा अथवा विधुर, मृत्यु अथवा पुनर्विवाह की तारीख तक, इनमें से जो भी पहले हो ।

(ख) पुत्र/पुत्री (विधवा पुत्री को मिलाकर) उसके विवाह/पुनर्विवाह की तारीख तक अथवा उसके धनोपार्जन करने की तारीख तक अथवा 25 वर्ष की आयु पूरी करने तक, इनमें से जो भी पहले हो ।

श्रेणी-।।

(ग) अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्री, जो उपर्युक्त श्रेणी-। में शामिल नहीं है, विवाह/पुनर्विवाह की तारीख तक अथवा उसके धनोपार्जन करने तक अथवा मृत्यु होने तक, इनमें से जो भी पहले हो ।

(घ) माता-पिता को पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी जब वह जीवित था/थी, पर पूरी तरह से निर्भर थे, बशर्ते मृतक कर्मचारी के न कोई विधवा अथवा न ही सन्तान हो । निर्भर माता-पिता, अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा पुत्री की कुटुम्ब पेंशन मृत्यु होने की तारीख तक जारी रहेगी ।

श्रेणी-।। में अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों ओर निर्भर माता-पिता की पेंशन, केवल श्रेणी-। के परिवार के अन्य पात्र सदस्यों पर कुटुम्ब पेंशन को प्राप्त करने हेतु पात्रता होने की रोक लगा दी गई है, के बाद देय होगी तथा कुटुम्ब पेंशन को प्राप्त करने के लिए कोई विकलांग सन्तान भी नहीं है । उसी श्रेणी में सन्तान की कुटुम्ब पेंशन की स्वीकृति उसकी जन्म तिथि के अनुसार देय होगी तथा उससे कम आयु वाली सन्तान कुटुम्ब पेंशन के लिए पात्र नहीं होगी जब तक कि उससे अगली अधिक आयु वाली सन्तान उस श्रेणी में कुटुम्ब पेंशन की स्वीकृति के लिए अपात्र नहीं हो जाती ।

8.5 कुटुम्ब पेंशन के प्रयोजन हेतु निर्भरता निर्धारण न्यूनतम कुटुम्ब पेंशन होगी जिसके साथ मंहगाई राहत शामिल है ।

8.6 मृतक सरकारी कर्मचारी की सन्तानहीन विधवा को कुटुम्ब पेंशन का भुगतान किया जाना, इस शर्त के अध्यधीन उसके पुनर्विवाह के बाद भी जारी रहेगा कि उसकी कुटुम्ब पेंशन रोक दी जाएगी यदि सभी स्रोतों से उसकी अपनी आय, केन्द्रीय सरकार की निर्धारित न्यूनतम कुटुम्ब पेंशन के बराबर अथवा उससे अधिक हो जाती है । ऐसे मामलों में, कुटुम्ब पेंशनभोगी को प्रत्येक छः माह में पेंशन वितरण अधिकारी को अन्य स्रोतों से अपनी आय के बारे में जानकारी देने की आवश्यकता होगी ।

पेंशन का संराशीकरण

9.1 किसी सरकारी कर्मचारी की अपनी पेंशन का 40% तक के एकमुश्त भुगतान के लिए पात्र बने रहना जारी रहेगा ।

9.2 केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियमावली, 1981 के साथ संलग्न पेंशन हेतु संराशीकरण मूल्य की वर्तमान तालिका को अनुबन्ध -। की नई तालिका से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

9.3 पेंशन के संराशीकरण मूल्य की संशोधित तालिका का प्रयोग उन सभी पेंशन के संराशीकरणों के लिए होगा जो इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख के बाद पूर्ण होते है । उन पेंशन भोगियों के मामलों में, जिनके पेंशन के संराशीकरण का मामला 1.1.2006 को अथवा उसके बाद पूर्ण होता है परन्तु इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने के पहले पेंशन के संराशीकरण मूल्य की संशोधन पूर्व तालिका का प्रयोग संशोधन पूर्व वेतन/पेंशन पर आधारित पेंशन के संराशीकरण के भुगतान हेतु किया जाएगा । ऐसे पेंशनभोगी पेंशन का संराशीकरण करने के लिए यह विकल्प देंगे कि

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर वेतन/पेंशन के भूतलक्षी पुनरीक्षण के कारण अलग से संराशीकरण करने योग्य हो गई है । पेंशनभोगी द्वारा ऐसे विकल्पों का प्रयोग करने पर पेंशन के संराशीकरण मूल्य की संशोधित तालिका का प्रयोग पेंशन की अतिरिक्त राशि के संराशीकरण के लिए किया जाएगा कि यह वेतन/पेंशन के भूतलक्षी पुनरीक्षण के कारण संराशीकरण करने योग्य हो गया है । सभी मामलों में, जहां सेवानिवृत्ति/पेंशन के संराशीकरण की तारीख इस कार्यालय ज्ञापन के जारी होने की तारीख को अथवा उसके बाद है, पेंशन के संराशीकरण मूल्य की संशोधित तालिका का प्रयोग सम्पूर्ण पेंशन के संराशीकरण के लिए किया जाएगा ।

9.4 केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियमावली, 1981 के प्रावधान उपर्युक्त पैरा 9.2 और 9.3 के अनुसार किए जाएंगे ।

सतत परिचर्या भत्ता

10.1 केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण) पेंशन नियमावली, 1939 के तहत अशक्तता पेंशन पर सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों के मामले में 100% अशक्तता के लिए (जहाँ कोई व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर पूरी तरह से आश्रित हो) रक्षा बलों में मौजूदा नीति के अनुसार अशक्तता पेंशन के अतिरिक्त प्रत्येक महीने 3000/-रूपए सतत परिचर्या भत्ता प्रदान करना अनुमत्य होगा । के.सि.सेवा (असाधारण) पेंशन नियमावली,1939 को इस सीमा तक संशोधित किया जाएगा ।

एकमुश्त अनुग्रह की प्रतिपूर्ति

11. पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के दिनांक 11.9.1998 के का.ज्ञा.सं. 45/55/97-पी.एंड.पी.डब्ल्यू.(सी.) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के ऐसे सिविलियन कर्मचारियों के परिवारों को एकमुश्त अनुग्रह प्रतिपूर्ति की जाती है जो कर्मचारी विभिन्न परिस्थितियों में अपनी बोनाफाइड सरकारी ड्यूटी के निष्पादन के दौरान दिवंगत हो जाते हैं । इस एकमुश्त अनुग्रहपूर्वक प्रतिपूर्ति की राशि निम्नवत संशोधित होगी :-

(क) कर्तव्य निष्पादन के दौरान दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर	10.00 लाख रू.
(ख) ड्यूटी के निष्पादन के दौरान मृत्यु होने पर चाहे वह आतंकवादियों असामाजिक तत्वों इत्यादि द्वारा हिंसात्मक कृत्यों द्वारा	10.00 लाख रू.
(ग) मृत्यु होने पर (क) अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध में अथवा सीमा पर मुठभेड़ में शत्रुओं द्वारा कार्रवाई तथा (ख) मिलिटेन्टों आतंकवादियों और उग्रवादियों के विरूद्ध कार्रवाई के दौरान	15.00 लाख रू.

(iv) पेंशन का सारांशीकरण इन आदेशों के प्रभावी होने के तत्काल पूर्व लागू आदेशों के अनुसार अनुमत्य होगा ।

(v) कुटुम्ब पेंशन इन आदेशों के जारी होने से पहले लागू आदेशों के अनुसार अनुज्ञेय होगी और पूर्व सेशोधित वेतनमान में मूल वेतन के सन्दर्भ में गणना की जाएगी । संगठित कुटुम्ब पेंशन में इस विभाग के दिनांक 5.4.2006 के का.ज्ञा.सं. 42/2/2006-पी.एंड.पी.डब्ल्यू.(जी.) में निहित दरों पर औसत ए.आई.सी.पी.आई. 536 (आधार वर्ष 1982=100) तक मंहगाई राहत जमा होगी । इस प्रकार प्राप्त राशि औसत ए.आई.सी.पी.आई. 536 के बाद मंहगाई राहत के भुगतान को विनियमित करने के लिए कुटुम्ब पेंशन के तौर पर समझी जाएगी ।

14. इस आदेश में निहित निर्णयों के अनुसार के.सि.सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के.सि.सेवा (असाधारण) पेंशन नियमावली 1939 तथा के.सि.सेवा (पेंशन का संराशीकरण) नियमावली, 1981 में औपचारिक संशोधनों को यथासमय जारी कर दिया जाएगा । इन आदेशों द्वारा विशेषत: नहीं संशोधित के.सि.सेवा (पेंशन) नियमावली, 1972 के.सि.सेवा (असाधारण) पेंशन नियमावली, 1939 और के.सि.सेवा (पेंशन का सांराशीकरण) नियमावली, 1981 के प्रावधान अप्रभावित रहेंगे ।

15. इन आदेशों के अनुसार पेंशन/कुटुम्ब पेंशन छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर लागू संशोधित पैट्रन के तहत औसत ए.आई.सी.पी.आई. 536 के बाद मंहगाई राहत के लिए अर्हक होंगी ।

16. इन आदेशों को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की दिनांक 2.9.2008 की यू.ओ. सं. 4871/एस.ई./2008 में दी सहमति से जारी किया जाता है ।

17. जहां तक इन आदेशों का भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के कर्मचारियों पर लागू होने का संबंध है इन आदेशों की भारत के नियंत्रक और महालेखाकार के परामर्श से जारी किया जाता है ।

18. कृषि आदि मंत्रालयों से अनुरोध है कि इन आदेशों की विषयवस्तु को उनके संलग्न एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लेखा नियंत्रकों/वेतन तथा लेखा अधिकारियों के समक्ष प्राथमिकता के आधार पर लाएं ।

रजनी राजदान
सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
डाक सूची के अनुसार ।

अनुबंध

एक रूपए प्रति वर्ष की पेंशन के लिए सांराशीकरण मूल्य

आयु अगले जन्मदिन पर	क्रय वर्षों की संख्या के रूप में व्यक्त सांराशीकरण मूल्य	आयु अगले जन्मदिन पर	क्रय वर्षों की संख्या के रूप में व्यक्त सांराशीकरण मूल्य	आयु अगले जन्मदिन पर	क्रय वर्षों की संख्या के रूप में व्यक्त सांराशिकरण मूल्य
20	9.188	41	9.075	62	8.093
21	9.187	42	9.059	63	7.982
22	9.186	43	9.040	64	7.862
23	9.185	44	9.019	65	7.731
24	9.184	45	8.996	66	7.591
25	9.183	46	8.971	67	7.431
26	9.182	47	8.943	68	7.262
27	9.180	48	8.913	69	7.083
28	9.178	49	8.881	70	6.897
29	9.176	50	8.846	71	6.703
30	9.173	51	8.808	72	6.502
31	9.169	52	8.768	73	6.296
32	9.164	53	8.724	74	6.085
33	9.159	54	8.678	75	5.872
34	9.152	55	8.627	76	5.657
35	9.145	56	8.572	77	5.443
36	9.136	57	8.512	78	5.229
37	9.126	58	8.446	79	5.018
38	9.116	59	8.371	80	4.812
39	9.103	60	8.287	81	4.611
40	9.090	61	8.194		

(आधार एल.आई.सी. (94-96) सारणी और 8.00% ब्याज)